कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC14882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/भर्ती/3011 जबलपुर, दि. 08.08.2016

सुरक्षा सैनिकों के बैकलॉग पदों पर नियमित सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं नियमावली

म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश में विभिन्न ताप एवं जल विद्युत उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं । इन विद्युत उत्पादन केन्द्रों यथा सारनी- जिला बैतूल, बिरसिंहपुर-जिला उमरिया, चचाई-जिला अनूपपुर स्थित ताप विद्युत गृहों, निर्माणाधीन श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया जिला खण्डवा के साथ विभिन्न जल विद्युत गृहों हेतु निम्न तालिकानुसार बैकलॉग पदों के विरूद्ध 49 सुरक्षा सैनिकों की आवश्यकता है । म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सुरक्षा सैनिक के नियमित पद पर नियुक्ति के लिये निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्राप्त केवल पुरुष उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1- पद का विवरण-

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या				
	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
सुरक्षा सैनिक	14	11	14	10	49

2- पद के दायित्व एवं कार्य-

नियुक्ति उपरान्त सुरक्षा सैनिकों का दायित्व म.प्र. राज्य में स्थित विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहों की सुरक्षा का होगा ।

3- सुरक्षा सैनिक पद पर भर्ती हेतु पात्रता-

3.1 आयु सीमा:-

दिनांक 01.08.2016 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो म.प्र.के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।

3.2 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभवः-

3.2.1 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

3.2.2 अभ्यर्थी को 10+2 पद्धति से न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3.2.3 अभ्यर्थी को पुलिस/पेरामिलिट्री फोर्स/सशस्त्र सेना अथवा सिक्योरिटी गार्ड (पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. में कार्यभारित/मस्टर रोल कर्मचारी) अथवा होमगार्ड में सैनिक/ लांस नायक/ नायक हवलदार के रूप में न्यूनतम तीन वर्षो की सक्रिय सेवा का अनुभव होना आवश्यक है, उक्त अनुभव दिनांक 01.07.2016 को पूर्णतः 3 वर्ष का होना आवश्यक होगा ।

टीप - अभ्यर्थियों को कंडिका क्र. 3.2.3 में वर्णित अनुभव होना अनिवार्य है । निजी (Private) सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत/ अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी उपरोक्त पद के लिये पात्र नहीं हैं । अत: ऐसे उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता कि वे आवेदन न करें, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी एवं इस हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा ।

3.3 शारीरिक अर्हतायें एवं मापदण्डः-

3.3.1 अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिएः-

उँचाई: 167 सेंटीमीटर या उससे अधिक

सीना: न्यूनतम सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर ।
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेमी का अन्तर होना आवश्यक है) ।

दृष्टि: बिना चश्में के 6/6 से कम नहीं होना चाहिए । अभ्यर्थी को रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए ।

3.3.2 अभ्यर्थी (समतल तलुवे) फ्लेट फुट का नहीं होना चाहिए । अभ्यर्थी के घुटने आपस में मिलना (नॉक नी) नही चाहिए ।

3.3.3 अभ्यर्थी मे हकलाहट का दोष नही होना चाहिए ।

3.3.4 अभ्यर्थी की श्रवण क्षमता अच्छी होना चाहिए ।

3.3.5 अभ्यर्थी का वजन उसकी ऊँचाई के अनुपात में होना चाहिए ।

3.3.6 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से निःशक्त (विकलांग) नहीं होना चाहिये।

3.3.7 अभ्यर्थी को चिकित्सकीय दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है ।

टीप: 1. यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊँचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।

2. न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है । शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

3.4 सामान्य शर्ते: -

3.4.1 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के ऐसे कर्मचारी जो म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. में कार्यरत हैं एवं "निर्धारित अर्हताएं" पूर्ण करते हों, उक्त पदों हेतु विभागीय कर्मचारी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा नहीं है ।

3.4.2 शासकीय/ अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी अपना आवेदन सीधे कर सकेंगे, परन्तु उन्हें द्वितीय चरण की चयन प्रक्रिया के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

3.4.3 ऐसे आवेदक, जिनके दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

3.4.4 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत लिखित/शारीरिक प्रवीणता (यथानुसार) परीक्षा में सम्मिलित होने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय श्रेणी स्लीपर का एक तरफ का रेल या वास्तविक बस किराया (जो कम हो), टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा ।

3.4.5 म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को किसी भी अथवा सभी आवेदनों को बिना कारण बतायें अमान्य/निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा ।

3.4.6 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, उक्त पद हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे ।

3.4.7 नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद जबलपुर न्यायाधिकरण सीमा में ही मान्य होंगे । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

3.4.8 नियुक्ति उपरांत यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

3.4.9 अभ्यर्थियों को निर्देषित किया जाता है कि उपरोक्त चयन के संबंध में नवीनतम सूचनाओं एवं परीक्षा परिणामों हेतु एम.पी.ऑन लाईन एवं म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी की वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। तत्संबंध में सूचना न मिलने संबंधी अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

3.4.10 अभ्यार्थियों हेतु आवश्यक होगा कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप-जोख की पुष्टि कर लें तथा न्यूनतम शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें।

3.4.11 अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा पढ़ने, लिखने एवं हिन्दी में वार्तालाप में निपुण होना चाहिए।

3.4.12 अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार अथवा सिफारिश करने पर वह अयोग्य माना जावेगा ।

4- आरक्षण:-

4.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) वर्ग हेतु पदों में आरक्षण रखा गया है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्राय है कि जिन्हें म.प्र.राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है । ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करते समय संबंधित जाति प्रमाण पत्र (नवीन) म.प्र. राज्य शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप के साथ म.प्र. का मूल निवासी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) अभ्यर्थियों , भूतपूर्व सैनिक को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जावेगी । किसी भी स्थिति में कुल

05 वर्ष से अधिक आयु सीमा में छूट नहीं होगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) अभ्यार्थियों हेतु निर्धारित शारीरिक मापदण्डों में छूट का कोई प्रावधान नहीं है ।

4.2 ग्रीन कार्ड धारक (परिवार नियोजन) अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की अधिकतम आयुसीमा में छूट दी जावेगी । जाति एवं अन्य छूट मिलाकर किसी भी स्थिति में कुल 05 वर्ष से अधिक आयु सीमा में छूट नहीं होगी ।

4.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) के ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नही दिया जावेगा ।

4.4 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के उम्मीदवार यदि उक्त पदों हेतु निर्धारित पात्रता **(कंडिका क्र. 3.2.3 में वर्णित अनुभव मुख्य अर्हता)** पूर्ण करते हों, तो उन्हें कंपनी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत परियोजना में रोजगार देने हेतु प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को विभिन्न संवर्गों में प्राथमिकता दी जावेगी । आवेदकों को भू -अर्जन अधिनियम 1894 की धारा (12) 2 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के विस्थापित परिवारों के उम्मीदवार को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

4.5 निःशक्त उम्मीदवार चयन हेतु पात्र न होने के कारण उनका कोई पद आरक्षित नहीं है।

4.6 शासकीय/अर्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों, के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सकीय अयोग्यता के आधार पर अथवा सेवा से हटाए गए सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मी उक्त भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे ।

4.7 अन्य अर्हताएं पूर्ण करने पर होमगार्ड सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत क्षैतिज (होरीजेंटल ओव्हर ऑल) आरक्षण लागू होगा, तथापि होमगार्ड सैनिकों को पूर्ण चयन प्रक्रिया में सफल होना होगा ।

4.8 म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2002/अ.प्र./एक दिनांक 28.08.2002 द्वारा अंत: स्थापित नियम 4 (ख) के अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर , मुरैना ,दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी ,गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बेगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा में तामिया विकासखण्ड भारिया जनजाति का है, तो उसे नियमावली में विहित की गई न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में छूट दी जायेगी । किन्तु उक्त उम्मीदवार को पद हेतु विहित अनुभव एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक होगा । साथ ही द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

5- परीक्षा की योजना:-

चयन हेतु आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ऑनलाईन पद्धति से भरे जावेंगे। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण एम.पी.ऑनलाईन अथवा किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा । अतः ऑनलाईन लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेष तथा ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा ।सुरक्षा सैनिकों की चयन प्रक्रिया निम्नलिखित दो चरणों में संपन्न करायी जावेगी:-

प्रथम चरण: <u>ऑनलाईन पद्धति से लिखित परीक्षा</u> - ऑनलाइन लिखित परीक्षा में बारहवीं कक्षा के स्तर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से पूछे जाएंगे एवं प्रश्न पत्र की अवधि दो घंटे एवं अधिकतम अंक 100 होंगे ।

द्वितीय चरण: <u>मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की जॉच एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा</u> - प्रथम चरण के प्रावधिक चयनित उम्मीदवारों को जबलपुर में मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की जॉच हेतु बुलाया जायेगा। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं, अनुभव, नियम एवं शर्तों के आधार पर सत्यापन होने के उपरान्त ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी । ऐसे उम्मीदवार जिनके मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र विज्ञापन में वर्णित मापदण्डों के प्रतिकूल पाये जावेंगे, उन आवदकों को संबंधित पद की चयन प्रक्रिया से अयोग्य मानते हुए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

6- चयन प्रक्रिया:-

6.1 **प्रथम चरण: लिखित परीक्षा ऑनलाईन** पद्धति से म.प्र. राज्य के चार प्रमुख नगरों (भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर) में रविवार को आयोजित की जावेगी । आवश्यकतानुसार नगरों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है । कम आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु जबलपुर बुलाया जायेगा ।

प्रथम चरण की चयन सूची:-

लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी, जिसमें अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति को 30 प्रतिशत लाना आवश्यक है। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरे करते हैं। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी । जाति वर्ग अनुसार 04 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 04 गुना से अधिक हो जावे । लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाली उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिस

उम्मीदवार की आयु अधिक होगी, वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर होगा ।

टीप: प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम एवं द्वितीय चरण की तिथि की जानकारी कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध करवाई जायेगी । उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम कंपनी की वेबसाइट से स्वयं डाउनलोड करना होगा । उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा ।

6.2 द्वितीय चरण: मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की जॉच एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा -
प्रथम चरण की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों को द्वितीय चरण - मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की जॉच एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु पृथक दिनांक को जबलपुर में बुलाया जायेगा ।

6.2.1- प्रथम चरण के प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों द्वारा अपने निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज मूल प्रति में एवं एक सेट छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित उपलबध कराना आवश्यक है ।

अ. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल की अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) ।

ब. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र ।

स. अनूसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) के सभी उम्मीदवार म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

द. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

इ. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीनकार्ड ।

टीप - दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा । यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है, तो उसे शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो ।

शारीरिक प्रवीणता टेस्ट

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में शारीरिक अर्हताओं हेतु निर्धारित मापदण्डों का परीक्षण के साथ एक ईवेन्ट 800 मीटर दौड़ का रहेगा । प्रथम चरण के प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं, अनुभव, नियम एवं शर्तों के आधार पर सत्यापन होने के उपरान्त ही शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण एवं 800 मीटर की दौड़ में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी । उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ चार मिनिट की अवधि में पूर्ण करनी होगी । 04 मिनिट से अधिक समय में दौड़ पूर्ण करने वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जावेंगे । शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे अर्थात् यह केवल क्वालीफाईग होगी । दौड़ के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. उत्तरदायी नहीं होगा ।

टीप - 1. सभी उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा (शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण एवं 800 मीटर की दौड़) में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सफल होना अनिवार्य है ।

2. 800 मीटर दौड़ हेतु एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा ।

3. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी । उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा कंपनी द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जावेगी ।

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के परिणामों हेतु आवेदक को एम.पी. ऑनलाइन एवं म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी की वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करना होगा । उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा ।

<u>अंतिम चयन सूची</u>

अंतिम चयन सूची, द्वितीय चरण के शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित प्रावधिक (क्वालीफाई किये गये) उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरे करते हैं। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी । अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी, वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर होगा ।

सुरक्षा सैनिक पद हेतु अंतिम परिणाम घोषित करने के पूर्व मेरिट सूची के आधार पर पद अनुरूप उम्मीदवारों का उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन उनके जारी किये गये विभाग द्वारा कराया जायेगा । संबंधित विभाग से सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत ही अंतिम चयन सूची बनाई जायेगी एवं नियुक्ति प्रस्ताव दिया जायेगा।

7. स्वास्थ्य परीक्षण: - उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण म.प्र. स्थित किसी मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर करवाना होगा, जिसमें उसे निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडीकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा ।

चयनित उम्मीदवारों का नियुक्ति पर उपस्थिति के पश्चात् कंपनी द्वारा चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराया जायेगा, जिसके विपरीत होने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी ।

8. वेतन एवं अन्य सुविधाएं: -

सुरक्षा सैनिकों को कंपनी में वेतनमान रु. 5960/- + ग्रेड पे 1900/- + अन्य भत्ते प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी एवं उनकी कुल परिलब्धियां लगभग रू. 19,000/- (अंकन रूपये उन्नीस हजार) मात्र मासिक होगी । कंपनी के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/ मप्रपाजकंलि/एनपीएस/3219 दिनांक 16.09.2011 के अनुसार दिनांक 01.6.2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों हेतु नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) लागू है ।

9. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र: -

सुरक्षा सैनिक पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को म.प्र.पॉवर जनरेटिंग क.लि. में कम से कम दो वर्ष की सेवाएं अनिवार्यतः देने हेतु सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा तथा सेवा अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर रु. 50000/- (पचास हजार) हर्जाना राशि म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. को देना होगा।

10. आवेदन कैसे करें : - अभ्यार्थियों को एम.पी. ऑनलाइन www.mponline.gov.in द्वारा इंटरनेट से आवेदन हेतु पंजीयन करना होगा । एम.पी. ऑनलाइन वेबसाईट की लिंक, कंपनी की वेबसाईट www.mppgenco.nic.in पर भी उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन पंजीयन दिनांक 10.08.2016 प्रातः 11 बजे से दिनांक 09.09.2016 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक उपलब्ध रहेगा ।

11. आवेदन शुल्क एवं अन्य देय राशि: - अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) अभ्यर्थियो के लिये अप्रतिदाय (नॉन रिफण्डेबल) आवेदन शुल्क (पोरटल राशि सहित) रू. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) देय होगा एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियो के लिये रु0 300/- (रुपये तीन सौ मात्र) देय होगा ।

12. समय सारणी: -

सुरक्षा सैनिकों की सीधी भर्ती हेतु अंतरिम समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की गई है, तथापि म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को आवश्यकतानुसार तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक
01.	विज्ञापन प्रकाशन	09.08.2016
02.	ऑनलाईन पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि	10.08.2016
03.	ऑनलाईन पंजीयन बंद होने की तिथि	09.09.2016
04.	ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	17.09.2016
05.	ऑनलाईन परीक्षा की तिथि	25.09.2016

13. ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं अभ्यास: -

एम.पी.ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा हेतु मॉकटेस्ट की उपलब्धता दिनांक 17.09.2016 से रहेगी, जिसका अभ्यास अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त एम.पी.ऑनलाइन द्वारा परीक्षा दिनांक को वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर ऑनलाइन परीक्षा देने की विधि का प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु अभ्यर्थियों को 01 (एक) घंटे का समय दिया जावेगा । अत: उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा समय के लगभग दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा । प्रशिक्षण एवं अभ्यास सत्र में सम्मिलित न होने पर ऑनलाइन परीक्षा की विधि से अनभिज्ञ होने की पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी एवं तत्संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।

सही/-

(डी.एन. राम)

कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.)

मप्रपाजकंलि जबलपुर